



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक-2953/12-1 : देहरादून: दिनांक:

13 जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय- जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (FP/UK/ROAD/21335/2016)

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं0-08 बी/यू0सी0पी0/06/35/2021/एफ0सी0/05, दिनांक-01.04.2025।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र सं0-2606/12-1, दिनांक-02.06.2025 एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-2170/12-1, दिनांक-30.05.2025(प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	The State Government shall ensure that there shall be no encroachment in nearby land in near future. An undertaking in this regard shall also be submitted.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।(संलग्न-01)
2	The State Government shall incorporate the plantation of at least 50% Oak species in CA scheme along. Accordingly, revised CA scheme shall be submitted.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत बांज प्रजाति का वृक्षारोपण संबंधित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। संशोधित दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।(संलग्नक-02)
3	The State Government shall ensure that the purpose of land use shall not be changed. An undertaking in this regard shall also be submitted.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।(संलग्नक-03)
4.	The user agency shall submit an undertaking that they along with the villagers shall cooperate the Forest Department in protection against Forest Fire"	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि उक्त शर्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।(संलग्नक-04)

अतः वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2453 / 12-1/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

(आर०के०मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष-0135-2745779 E-mail (cfyamu-forest-uk@nic.in)

पत्रांक :- 2170 /12-1, देहरादून, दिनांक, 30, मई, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापडा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (FP/UK/ROAD/21335/2016)

संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०6/35/2021/एफ०सी० दिनांक 01.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, भारत सरकार द्वारा सृजित कमियों का प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट द्वारा निराकरण कर बिन्दुवार आख्या पत्रांक 3582/12-1 दिनांक 27.05.2025 से इस कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की गई है। आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त निराकरण आख्या मय संस्तुति के मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक :- 2170 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी उत्तरकाशी
आ. का. करे।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
5499
12-1
6-6-25

(कहकशां नसीम)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड, वन विभाग हेल्प लाईन नं०-1926

पत्रांक- 3582 / 12-1 बड़कोट, दिनांक 27 मई /2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी./05 दिनांक 01.04.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 567/3एल0ए0, दिनांक 01.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या निम्नानुसार अग्रसारित की जा रही है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The State Government shall ensure that there shall be no encroachment in nearby land in near future. An undertaking in this regard shall also be submitted.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक-1)।
2	The State Government shall incorporate the plantation of at least 50 % Oak species in CA scheme along. Accordingly, revised CA scheme shall be submitted	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत बांज प्रजाति का वृक्षारोपण संबंधित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। संशोधित दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है (संलग्नक-2)।
3	The State Government shall ensure that the purpose of land use shall not be changed. An undertaking in this regard shall also be submitted	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक-3)।
4	The user agency shall submit an undertaking that they along with the villagers shall cooperate the Forest Department in protection against Forest Fire	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक-4)।

अतः आख्या मय प्रयोक्ता एजेन्सी की अनुपालन रिपोर्ट सहित महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डरीर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecedpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 567/3 एचएचएच

दिनांक 01/05/2025

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, कोटबंगला
उत्तरकाशी।

✓ 2. प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्वालीसौड़ के बनगांव चापडा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.बी./06/35/2021/एफ.सी./05 दिनांक 01.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 17.03.2025 में प्रस्ताव पर की गई चर्चा के अलोक में अतिरिक्त शर्तों का बिन्दुवार प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न- 04 प्रमाण-पत्र।

अपर यमुना वन विभाग (बडकोट)
पंजी संख्या 4280
पत्रावली संख्या 12-1
प्रकरण संख्या
दिनांक 15/05/25

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि -1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षण अभियन्ता, 6वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

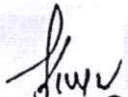
आचार्यजी
होआर कार्यवाही को
प्र० 00340
14/05/2025

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, एवं भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

चोपड़ा सोयम (7.470 है०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रावकलन।					
1.परियोजना का नाम-जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बगगांव-चोपड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।					
2.वृक्षारोपण स्थल का नाम- चोपड़ा सोयम, अक्षांश- 30°41'27 देशान्तर-78°09'11					
3.परियोजना का क्षेत्रफल- 7.470 है०					
प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र०सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	संख्या	दर	धनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण सीमांकन, एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना	प्र०है०	7.470	309.40	2311.22
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान 1/2 भाग	प्र०है०	3.735	2367.30	8841.87
3	दो वर्ष पौधों की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)	प्र०पौध	8217	29.50	242401.50
4	गड्डों का संरक्षण एवं चिन्हीकरण (घूने की कीमत सहित)	प्र०ग०	8217	0.91	7477.47
5	कन्दूर फरों का संरक्षण	प्र०फर	747	1.78	1329.66
6	कन्दूर फरों का खुदान करना 300 रनिंग मी० प्रति है० (3x0.30x0.20)	प्र०फर	747	171.59	128177.73
7	गड्डे खुदान कार्य (0.30cmx0.30cmx0.45cm) 1200 गड्डे	प्र०ग०	8217	16.90	138867.30
8	दिवाल बन्दी कार्य (फैन्सिंग) 1120x0.60+0.45/2x1.20= 490 घ०मी०	प्र०घ०मी०	490.00	964.60	472654.0
9	वृक्षारोपण की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (तीन बल्ब प्रति मीटर)	प्रति 100 बल्ब	33.60	1082.90	36385.4
10	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य				
I	परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य	संख्या	16	15000.00	240000.00
II	कोरे पथरों के चैकडेम निर्माण कार्य	संख्या	15.00	30000.00	450000.0
III	घाल-खाल निर्माण	संख्या	17.00	20000.00	340000.0
IV	क्रेटवायर चैकडेम निर्माण कार्य करना।	संख्या	10.00	30000.00	300000.0
11	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र०है०	7.470	1639.20	12244.82
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय,	प्र०है०	7.470	1497.52	11186.47
				Total	2391877.48

द्वितीय घरण

1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)	प्र०पौध	8217	5.38	44207.46
2	पौध दुलान कार्य मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड़ व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	प्र०पौध	8217	17.78	146098.26
3	कन्दूर फरों में बीज बोना/कटिंग लगाना (बीज एकत्रिकरण करना तथा कटिंग दुलान सहित)	प्र०फर	747	13.00	9711.00
4	कन्दूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 से०मी० ऊपर उठाकर भरण कर दबाना।	प्र०फर	747	13.00	9711.00
5	कंकड़-पत्थर छानकर गड्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण करना।	प्र०ग०	8217	3.06	25144.02
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	प्र०पौध	8217	5.75	47247.75
7	गड्डों में रासायनिक खाद(25 ग्रा० प्रति गड्डा)/जैविकखाद/जीवामृत/कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित	प्र०पौध	8217	2.02	16598.34
8	निराई-गुड़ाई व मलियंग करना प्रथम व द्वितीय बार	प्र०पौध	8217	14.05	115448.85

9	खरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर	प्र0माह	9.00	9602.68	86424.12
10	अग्नि सुरक्षा कार्य				
I	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	7.470	643.00	4803.21
II	सुरक्षा घेर बाढ़ के बाहर चारों ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	प्र0है	7.470	380.00	2838.60
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे-श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छपपर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार-प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड (अनिवार्य) व औजार क्रय/तेज करना/मरम्मत/ डाक्यूमेंटेशन/फोटोग्राफी आदि	प्र0है0	7.470	2545.24	19012.94
				Total	527245.55

तृतीय वर्ष- अनुरक्षण प्रथम वर्ष

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	9602.68	115232.16
2	निराई-गुड़ाई व मलिन्य कार्य	प्रति पौध	8000	2.28	18240.00
3	क्षतिपूर्ति रोपण				
i	पौध की कीमत	प्र0पौध	217	42.01	9116.17
ii	पौध की डुलान	प्र0पौध	217	17.78	3858.26
iii	गढ़दे खुदाना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावलाबंदी कर रोपण करना	प्र0पौध	217	25.70	5576.90
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य -रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	7.470	380.00	2838.60
				Total	159665.30

चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	निराई-गुड़ाई व मलिन्य कार्य	प्रति पौध	7800	2.28	17784.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य -रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	7.470	380.00	2838.60
				Total	140657.97

पंचम वर्ष- अनुरक्षण तृतीय वर्ष

1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है0	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97

षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष

1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				

i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अंतर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्रति है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97

सप्तम वर्ष- अनुरक्षण पंचम वर्ष

1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अंतर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्रति है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97

अष्टम वर्ष- अनुरक्षण षष्ठम वर्ष

1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्र० है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर	प्र० है०	7.470	380.00	2838.60
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत गली प्लगींग निर्माण कार्य करना।	प्र० संख्या	10.00	10000.00	100000.00
				Total	222873.97

नवम वर्ष- अनुरक्षण सप्तम वर्ष

1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्र० है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर	प्र० है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97

दसम वर्ष- अनुरक्षण अष्टम वर्ष

1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्र० है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर	प्र० है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97

प्रथम वर्ष- आ० मू० कार्य	2391877.48
द्वितीय चरण	527245.55
तृतीय वर्ष-	159665.30
चतुर्थ वर्ष-	140657.97
पंचम वर्ष-	122873.97
षष्ठम वर्ष-	122873.97
सप्तम वर्ष-	122873.97
अष्टम वर्ष-	222873.97
नवम वर्ष-	122873.97
दसम वर्ष-	122873.97
सम्पूर्ण योग	4056690.12
आ	4056486.00

नाम किया
40,564,86.00 Laku

ह० Shamkar

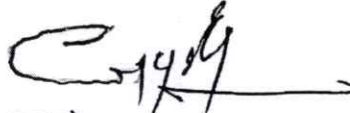
मानसिक प्रकाश

०० ०० ०० ०० ०० ००

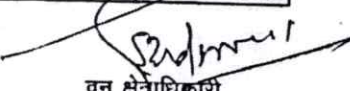
प्रभागीय वनाधिकारी

अपर यमुना वन प्रभाग

बडकोट



वन दरोगा
खाटल सैक्शन।

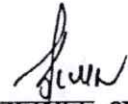


वन क्षेत्राधिकारी
नौगांव राजि, बर्नीगाड़।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट/भूमि की उपयोगिता प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्‍यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

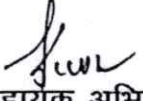

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्‍यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्‍यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ग्रामीणों के साथ मिलकर वन विभाग को वनों की आग से सुरक्षा में सहयोग करेंगे।


कचिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।